

2018/00140

37/18
10/5/18

RCMS
Pun

P-5UR

प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौहटन
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प माडिगार

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बाबूसाहू व भूअ.नि. लीलान/ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चांदन/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खानिया तहसील चौहटन व जिला चौहटन की जमाबन्दी सम्वत् 2021-24 में खाता संख्या 13 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	खोवाण	13	निमा कुवाला, जेठा पोर सुबेजा ताजा शुला पिठेवा, पाना वेवा डेवा, जेठा 2रा पिठेरा जा 2	निमासा कुवाला, जेठा जेठासा, पोकरसा सुवेशासा ताजासा कुवालासा पिठेवासा चननी पारो देवासा जेठासा सुरारासा पिठे जेठारासा बाँकेसा



()
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर
चौहटन

कमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चांदन को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री सुभाष कुमार शर्मा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,
चौहटन